

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक -

क्रमांक रीडर/2025/

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 रावताराम 2 लच्छू 3
रतनाराम 4 तगाराम 5 धनाराम
पिसरान देराजराम 6 खेताराम
7 गुणेशाराम पिरारान
गोकलाराम 8 माया पत्नि
गोकलाराम जातियान कुम्हार
निवासी काउ का खेडा
तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।

1 रेवन्ताराम 2 उगेदाराम 3 प्रकाश 4 चम्पाराम पिसरान
लुणाराम 5 पारु पत्नि लुणाराम 6 गंगाराम 7 मोहन पिसरान
चताराम 8 पदमाराम पुत्र प्रहलादाराम 9 गूलाराम 10
चूनाराम 11 जेटाराम पिसरान पेमाराम 12 गोमाराम 13
सुरताराम पिसरान पोकराराम 14 जैसाराम पुत्र हिराराम 15
खेताराम 16 रूगाराम 17 पीराराम पिसरान कौशलाराम 18
मांगीलाल पुत्र टिलाराम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी
काउ का खेडा 19 हरखराम 20 गोरधनराम पिसरान
भीयाराम जाति जाट निवासी छितर का पार तहसील बाटाडू
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 556/2025 दिनांक- 23/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा काउ का खेडा पटवार हल्का कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण
के खसरा संख्या 906/111 रकबा 1.8453 हैक्टेयर व खसरा संख्या 915/448 रकबा 0.0913
हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार
बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व
अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी
फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.
1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा
किया जावेगा

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

दिनांक-

क्रमांक :- रीडर/2025/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्ता पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी रावताराम पुत्र देराजराम वगैराह जातियान कुम्हार निवासी काउ का खेडा तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण रेवन्ताराम पुत्र लुणाराम वगैराह जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी काउ का खेडा तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

बाड़मेर